

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 106 सन 2021

अनवान :-

1. बलवन्तराम पुत्र निक्काराम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया तहसील कालावाली
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया तहसील कालावाली

वादीगण

बनाम

1. रायसिंह पुत्र निक्काराम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया ।
2. कमला पुत्री निक्का राम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
3. रामरखी पत्नी निक्काराम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
4. मोहरा पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
5. चन्द्रवती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
6. शर्मिला पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 376/358 की कुल 8.8020 हैक् सयुक्त तौर से निकुराम व रामजीलाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण के पिता है वादीगण के पिता निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है अर्थात् निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है ।

प्रतिवादी संख्या 2 ,5 ,7 वादीगण की बहने एवं मृतक निकुराम व रामजीलाल की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 मृतक निकुराम व रामजीलाल की पत्नी एवं वादीगण की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की निकुराम एवं रामजीलाल जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण के पिता है वादीगण के पिता निकुराम व

रामजीलाल पुत्र सुरजाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है अर्थात निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने निवेदन किया की की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 376/358 की कुल 8.8020 हैक् सयुक्त तौर से निकुराम व रामजीलाल के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण के पिता है वादीगण के पिता निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है अर्थात निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 2, 5, 7 वादीगण की बहने एवं मृतक निकुराम व रामजीलाल की पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 मृतक निकुराम व रामजीलाल की पत्नी एवं वादीगण की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 376/358 की कुल 8.8020 हैक् सयुक्त तौर से निकुराम व रामजीलाल के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण के पिता है वादीगण के पिता निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है अर्थात निकुराम व रामजीलाल पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में निकुराम व रामजीलाल का मृत्यू व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है।

अधिकारी
बोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 376/358 की कुल 8.8020 हैक् सयुक्त तौर से निकुराम व रामजीलाल के नाम से दर्ज है में निकुराम उर्फ निक्काराम व रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्या डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बलवन्तराम पुत्र निक्काराम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया तहसील कालावाली
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया तहसील कालावाली

वादीगण

बनाम

1. रायसिंह पुत्र निक्काराम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया ।
2. कमला पुत्री निक्का राम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
3. रामरखी पत्नी निक्काराम जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
4. मोहरा पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
5. चन्द्रवती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
6. शर्मिला पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी लाखासर हाल चकेरिया
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 106 सन 2021 निर्णय दिनांक- 25/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 376/358 की कुल 8.8020 हैक् सयुक्त तौर से निकुराम व रामजीलाल के नाम से दर्ज है में निकुराम उर्फ निक्काराम व रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाकर सयुक्त तौर वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)